राजनीतिक पीड़ितों, हरिजनों और अपंग सैनिकों को इण्डियन आयल कम्पनी की एजेंसियां देना

2246. **श्री अनन्त प्रसाद धूसिया :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

क्या सरकार का विचार पेट्रोल, इण्डेन-गैस डीजल और मिट्टी के तेल की एजेंसियां राजनीतिक पीड़ितो, हरिजनो, अपंग सैनिको और सैनिकों की विधवाओ को देने का है और यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव की मुख्य बाते क्या है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : भारतीय तेल निगम अपने स्वामित्व वाली मिट्टी के तेल, हल्के डीजल तेल तथा इडेन गैस की एजेंसियां देने मे इस समय अपंग सैनिको तथा युद्ध मे मारे गये एव लापता सैनिको के आश्रितो को प्राथमिकता दे रहा है । इस योजना के अन्तर्गत महानिदेशक पुनर्वास, रक्षा मंत्रालय तथा सीमा सुरक्षा दल के महानिरीक्षक की सिफारिशो के आधार एजेंसिया दी जाती हैं। इस योजना म इस समय कोई परिवर्तन करने का विचार नही है ।

एक व्यक्ति अथवा फर्म को दी जाने वाली इण्डियन आयल कम्पनी की एजेंसियों की संख्या पर रोक

2247 **श्री अनन्त प्रसाद धूसिया :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार की यह नीति है कि किसी व्यक्ति अथवा फर्म को पेट्रोल, इडेन-गैस डीजल और मिट्टी के तेल की दो से अधिक एजेंसियां न दी जाये, और

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश के गोरखपुर या वाराणसी डिवीजन मे किसी व्यक्ति या फर्म को दो से अधिक एजेंसियां दी गई हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) वर्ष 1969 के अन्त से भारतीय तेल निगम ने, उन एजेंसियो को छोड़कर जो भूतपूर्व सैनिको आदि के लिए विशेष रूप से आरक्षित की गई है, कम आय वाले ग्रुप के परिवारो के बेरोजगार इंजीनियरो/स्नातको को वरीयता के आधार पर अपने उत्पादो की एजेंसिया देना आरम्भ किया । गत वर्ष के अन्त से यह स्कीम एक वर्ष के लिए स्थगित की गई है तथा अब एजेंसिया अशक्त सैनिको एव युद्ध मे मारे गए अथवा लापता सैनिको के आश्रितो को वरीयता के आधार पर दी जा रही है । इन स्कीमो के अन्तर्गत एक पार्टी को एक एजेंसी से अधिक एजेंसी न दी गई है और न दी जा रही है। किन्तु विशेष केसो मे (जहा प्रत्येक केस के गुणावगुणो के आधार पर आवश्यक समझा गया हो) छूट दी जा सकती है ।

(ख) कुछ पार्टियो के पास उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और वाराणसी प्रभागो मे दो से अधिक एजेंसिया है । किन्तु ये एजेंसिया कई वर्ष पहले दी गई थी जब इन पार्टियो ने भारतीय तेल निगम मे प्रवेश लेने के लिए विदेशी तेल कम्पनियो को छोड दिया था ।

Abolition of distinction between Officers of Class I and II Cadres in Income-tax Department

2248 SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMI Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government are taking any steps to abolish the distinction between class I and class II Officers in the Income-tax Department, and

(b) if so, what are those ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K R. GANESH) : (a) No, Sir

(b) Does not arise.